न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
147/2025	12.08.2025	07.11.2025

अनवान

1. हीरा पुत्र भैरा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रेण का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पिता स्व. बगदीराम जाति गाडरी आयु बालिग निवासी रेण का खेड़ा हाल मुकाम नई बस्ती राणी खेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ।
2. दलीचन्द पिता स्व. प्रताप जाति गाडरी आयु बालिग निवासी रेण का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. नोजी बाई पुत्री स्व. हजारी पत्नी स्व. प्यारा जाति गाडरी आयु बालिग निवासी रेण का खेड़ा हाल मुकाम सावा तहसील व जिला चित्तौडगढ।
4. बंशीलाल पिता प्रताप गाडरी फोत के बजाय—
   1. कमली पत्नी स्व. बंशीलाल जाति गाडरी आयु बालिग निवासी रेण का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
   2. कुशबा पुत्री स्व. बंशीलाल पत्नी दिनेश चन्द्र जाति गाडरी आयु बालिग निवासी रेण का खेड़ा हाल मुकाम पुर्बिया मोहल्ला, कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
   3. सीमा पुत्री स्व. बंशीलाल पत्नी सतु जाति गाडरी आयु बालिग निवासी रेण का खेड़ा हाल मुकाम पुर्बिया मोहल्ला, कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. भगवानी बाई पुत्री हजारी पत्नी शंकरलाल जाति गाडरी आयु बालिग निवासी रेण का खेड़ा हाल मुकाम सावा तहसील व जिला चित्तौडगढ।
6. माधुलाल पिता हजारी जाति गाडरी आयु बालिग निवासी रेण का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. शंकरलाल पिता उदयराम जाति गाडरी आयु बालिग निवासी रेण का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. सोहनलाल पिता उदेराम जाति गाडरी आयु बालिग निवासी रेण का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. हुडी बाई पत्नी बगदीराम जाति गाडरी आयु बालिग निवासी रेण का खेड़ा हाल मुकाम नई बस्ती राणी खेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ।
10. बंशीलाल पिता चम्पालाल जाति गाडरी आयु बालिग निवासी रेण का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. शंकरलाल पिता रामलाल जाति गाडरी आयु बालिग निवासी रेण का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. तलोक पिता सुरजमल जाति गाडरी आयु बालिग निवासी रेण का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. शंकरलाल पिता नारू जाति गाडरी आयु बालिग निवासी रेण का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बैरवा — प्रार्थी

एकतरफा — अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी, कपासन

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रेण का खेड़ा पटवार हल्का बालारड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 239 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 205, 206 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2400 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के सहखातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 से 13 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा हाजिर होकर पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर—बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजीयात मौजा रेण का खेड़ा पटवार हल्का बालारड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 239 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 205, 206 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2400 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 निम्बाहेडा को 1000/— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला चित्तौड़गढ़

(राजेश [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौड़गढ़